भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *177**

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया गया

## अडानी समूह को ऋण

*177. श्री दीपक बैज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की स्थिति के अनुसार और 31 दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा अडानी समूह की कंपनियों को दिए गए ऋण/क्रेडिट एक्सपोजर का बैंक-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न बैंकों ने अडानी समूह की कंपनियों को दिए गए ऋणों/क्रेडिट एक्सपोजर की वसूली में शामिल जोखिमों का आकलन किया है, जिससे वर्तमान वर्ष के दौरान उनकी निवल आस्तियां और बाजार पूंजीकरण काफी कम हो गया है;

(ग) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

**(क) से (घ):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**"अडानी समूह को ऋण" के संबंध में श्री दीपक बैज, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 13.3.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *177 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (घ):** भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ङ के उपबंधों के अंतर्गत आरबीआई को ऋण सूचना को प्रकट करने से प्रतिबंधित किया गया है। धारा 45ङ में यह उपबंध किया गया है कि किसी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई ऋण सूचना को गोपनीय माना जाएगा और उसे प्रकाशित या अन्यथा प्रकट नहीं किया जाएगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि अडानी समूह की कंपनियों में इनका ऋण एक्सपोज़र, अनुबंध में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, दिनांक 31.12.2022 और 5.3.2023 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 6,347.32 करोड़ रुपये और 6,182.64 करोड़ रुपये है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियों ने सूचित किया है कि इन कंपनियों का अडानी समूह की कंपनियों में कोई ऋण/क्रेडिट एक्सपोज़र नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि परियोजनाओं की अर्थ-क्षमता, संभावित नकदी-प्रवाह, जोखिम संबंधी घटकों का मूल्यांकन करने और पर्याप्त प्रतिभूति की उपलब्धता के पश्चात् ऋण स्वीकृत किये जाते हैं और ऋणों का पुनर्भुगतान परियोजना द्वारा अर्जित राजस्व के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है न कि कंपनी के बाज़ार पूंजीकरण द्वारा।

आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए इसने वृहत एक्सपोज़र ढांचे को लागू किया है, जिसमें बैंकों द्वारा किसी एक ही काउंटरपार्टी में और संबंधित काउंटरपार्टियों के समूह में एक्सपोज़र की सीमा को बैंक के पात्र पूंजी आधार का क्रमशः 20 प्रतिशत (अपवाद की स्थितियों में बैंक के बोर्ड द्वारा 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है) और 25 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। इसके अलावा, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों में परियोजना के वित्तपोषण के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात के संबंध में एक स्पष्ट नीति का होना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमोटर बैंक वित्त के अनुपात में इक्विटी निधियों का निवेश करें। वृहत एक्सपोज़र के कारण बैंकिंग प्रणाली में उत्पन्न होने वाले संकेंद्रण जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई ने बैंकों में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने और 10,000 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत ऋण सीमा वाले विनिर्दिष्ट उधारकर्ताओं के लिए बढ़ते एक्सपोज़र के संबंध में अतिरिक्त जोखिम भार का निर्धारण किया है।

*****

**अनुबंध**

**"अडानी समूह को ऋण" के संबंध में 13 मार्च, 2023 का लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *177**

अडानी समूह की कंपनियों में एलआईसी का ऋण एक्सपोज़र

राशि करोड़ रुपये में

| **कंपनी** | **बकाया (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)** | **बकाया (दिनांक 5.3.2023 की स्थिति के अनुसार)** |
|---|---|---|
| अडानी पोर्ट्स एंड एसईज़ेड | 5,553.27 | 5,388.60 |
| अडानी पॉवर (मुंद्रा) लि. | 266.46 | 266.46 |
| अडानी पॉवर महाराष्ट्र लि. – फेज़ I | 81.60 | 81.60 |
| अडानी पॉवर महाराष्ट्र लि. – फेज़ III | 254.87 | 254.87 |
| रायगढ़ एनर्जी जेनरेशन लि. | 45.44 | 45.44 |
| रायपुर इनर्जेन लि. | 145.67 | 145.67 |
| **कुल** | **6,347.32** | **6,182.64** |

*स्रोत: एलआईसी*

******